न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/80

कन्हैया लाल आत्मज श्री मोती लाल उम्र 80 वर्ष जाति महाजन निवासी [illegible] तहसील तालेड़ा जिला बून्दी ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. कुसुमलता पुत्री श्री लालचन्द जैन पत्नी ऋषभ कुमार जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 27, दीनदयाल उपाध्याय नगर, अन्तापुरा जिला कोटा ।
2. उषा बाई पुत्री श्री लालचन्द जाति महाजन निवासी बजाज खाना मुख्य बाजार इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।
3. रामलाल आत्मज श्री मोतीलाल जाति महाजन निवासी [illegible] तहसील तालेड़ा जिला बून्दी ।
4. कदम बाई मृतक जरिये कायममुकाम :-
   - 4/1. राजकुमार आत्मज श्री प्रकाश चन्द उम्र 38 वर्ष जाति महाजन निवासी पुराना बस स्टेण्ड मंगलपुरा झालावाड़ ।
   - 4/2. रानी पुत्री श्री प्रकाश चन्द उम्र 35 वर्ष जाति महाजन निवासी पुराना बस स्टेण्ड मंगलपुरा, झालावाड़ ।
   - 4/3. पिंकी पुत्री श्री प्रकाश चन्द उम्र 32 वर्ष जाति महाजन निवासी पुराना बस स्टेण्ड मंगलपुरा झालावाड़ ।
   - 4/4. सोनिया पुत्री श्री प्रकाश चन्द उम्र 28 वर्ष जाति महाजन निवासी पुराना बस स्टेण्ड, मंगलपुरा झालावाड़ ।
5. निर्मला बाई पुत्री स्व0 श्री मोतीलाल पत्नी प्रकाश चन्द जाति जैन निवासी ग्राम मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. शकुन्तला मृतक जरिये कायममुकाम :-
   - 6/1. कुसुम जैन आत्मज श्री ऋषभ कुमार जाति महाजन निवासी ग्राम असोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी ।
8. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक तालेड़ा जिला बून्दी ।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील संख्या : 2020 / 109

कन्हैया लाल आत्मज श्री मोती लाल उम्र 60 वर्ष जाति महाजन निवासी भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. कुसुमलता पुत्री श्री लालचन्द जैन पत्नी ऋषभ कुमार जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 27, दीनदयाल उपाध्याय नगर, अनन्तपुरा जिला कोटा ।
2. ऊषा बाई पुत्री श्री लालचन्द जाति महाजन निवीस बजाज खाना मुख्य बाजार इन्द्रौर (मध्यप्रदेश) ।
3. सागरमल आत्मज श्री मोतीलाल जाति महाजन निवासी नोताडा भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. बदाम बाई मृतक जरिये कायममुकाम :–
   4/1. राजकुमार आत्मज श्री प्रकाश चन्द उम्र 38 वर्ष जाति महाजन निवासी पुराना बस स्टेण्ड मंगलपुरा झालावाड ।
   4/2. रानी पुत्री श्री प्रकाश चन्द उम्र 35 वर्ष जाति महाजन निवासी पुराना बस स्टेण्ड मंगलपुरा, झालावाड ।
   4/3. पिंकी पुत्री श्री प्रकाश चन्द उम्र 32 वर्ष जाति महाजन निवासी पुराना बस स्टेण्ड मंगलपुरा झालावाड ।
   4/4. सोनिया पुत्री श्री प्रकाश चन्द उम्र 28 वर्ष जाति महाजन निवासी पुराना बस स्टेण्ड, मंगलपुरा झालावाड ।
5. गिर्राज बाई पुत्री स्व0 श्री मोतीलाल पत्नी प्रकाश चन्द जाति जैन निवासी ग्राम मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. शकुन्लता मृतक जरिये कायममुकाम :–
   6/1. शुभम जैन आत्मज श्री ऋषभ कुमार जाति महाजन निवासी ग्राम आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
8. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश बून्दी ।
9. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक तालेडा जिला बून्दी ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से दोनों अपीलों में ।

<u>**निर्णय**</u>

दिनांकः 13.01.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही अपीलाधीन निर्णय से सम्बन्धित होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नोताडा भोपत उप तहसील तालेडा जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 1097 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1211 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1213 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1265 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के पूर्व खातेदार हंसराज जी जाति महाजन थे । हंसराज जी के दो पुत्र लक्ष्मीचन्द व मोती लाल हुए । लक्ष्मीचन्द व मोतीलाल जीवनपर्यन्त संयुक्त रहे । दोनों के मध्य जयदाद का कभी भी बंटवारा नहीं हुआ । लक्ष्मीचन्द जी लाऔलाद फौत हुए हैं इसलिए उक्त भूमि के खातेदार लक्ष्मीचन्द के भाई मोती लाल हुए । मोतीलाल के देहान्त के बाद मोतीलाल के वारिस उक्त भूमि के कानूनी खातेदार हैं और उसी रूप में उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । लक्ष्मीचन्द की पत्नी अपने पति लक्ष्मीचन्द के जीवनकाल में ही लक्ष्मीचन्द को छोडकर ग्राम गरैड के निवासी माधोलाल के साथ पत्नी बनकर रहने लग गई थी और माधो लाल के साथ विवाह कर लिया । इस प्रकार लक्ष्मीचन्द जी की पत्नी का लक्ष्मीचन्द जी के जीवनकाल में ही दूसरे व्यक्ति से शादी करने से समस्त अधिकार समाप्त हो गये । लक्ष्मीचन्द जी का देहान्त हुए करीब 50 वर्ष से अधिक का समय हो गया है । लक्ष्मीचन्द जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर बहैसियत मालिक मोतीलाल काबिज काश्त रहे । मोतीलाल जी के देहान्त के बाद उक्त भूमि पर मोती लाल के वारिस काबिज काश्त चले आ रहे हैं । राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी कुसुमलता व प्रतिवादी ऊषा दुख्तर लक्ष्मीचन्द 1/2 हिस्सा अंकित हो रहा है । वादपत्र में पूर्व में ही अंकित किया गया है कि लक्ष्मीचन्द जी के कोई औलाद नहीं हुई । लक्ष्मीचन्द जी लाऔलाद फौत हुए । राजस्व रिकॉर्ड में कुसुमलता व ऊषा दुख्तर लक्ष्मीचन्द अंकित हो रहा है वह पूर्ण रूप से तथ्यों के विपरीत है । राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी कुसुमलता व ऊषा का नाम अंकित होने से प्रतिवादी कम 1 व 2 को किसी किस्म का कोई हक अथवा अधिकार नहीं है । कुसुमलता का जन्म कोटा में हुआ है और ससुराल इन्दौर में है । भू–प्रबन्ध द्वारा भू–प्रबन्ध के दौरान राजस्व रिकॉर्ड में मुस० कान्ती दुख्तर व लक्ष्मीचन्द हिस्सा 1/2 अंकित किया है जो पूर्ण रूप से गलत है । भू–प्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी किस्म का परिवर्तन करने का काई अधिकार नहीं है । राजस्व रिकॉर्ड में कान्ति बाई का नाम लिखने से कान्तिबाई के हक में किसी किस्म का कोई अधिकार पैदा नहीं होता है । राजस्व रिकॉर्ड में कुसुमलता व ऊषा का नाम अंकित होने से उनकी नियत में फर्क आ गया है जिससे वे उक्त भूमि को हस्तान्तरित करने पर आमादा हैं ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का स्वर्गीय मोतीलाल के वारिसान को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान

एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें । यदि दौराने वाद उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लिया जावे तो उसे वापस वादी को संभलाया जावे ॥

5. प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 2 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

6. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.02.2020 के द्वारा वाद वादी खारिज कर प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री करने का आदेश पारित किया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.02.2020 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दोनों अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि लक्ष्मीचन्द जी की विवाहिता पत्नी केसर बाई लक्ष्मीचन्द जी के जीवनकाल में ही माधोलाल नाम के व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी बनकर रहने लग गई थी तथा माधोलाल के साथ विवाह कर लिया था । कानूनन यदि कोई औरत अपने पति के जीवनकाल में अन्यत्र कहीं विवाह कर लेती है तो उसके पूर्व पति की सम्पत्ति में उसके समस्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं । अर्थात् जब केसर बाई का उस सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं था तो केसरबाई की पुत्री कान्ति बाई जो कि माधोलाल के नुत्फे से उत्पन्न हुई थी उसका तथा वर्तमान में रेस्पोडेन्ट क्रम 1व 2 का विवादित भूमि पर कोई अधिकार होने का प्रश्न ही नहीं होता है क्योंकि उनका व लक्ष्मीचन्द जी का कोई सम्बन्ध नहीं था इस महत्वपूर्ण तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.02.2020 निरस्त फरमायी जावे ॥

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नकल निकलवा ली थी परन्तु उस अवधि के दौरान सम्पूर्ण देश में कोरोना महामारी के चलते लॉक डाउन हो गया था इसलिए उक्त अपील समय पर पेश नहीं की जा सकी थी ॥ उपर्युक्त परिस्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ॥

9. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई ॥ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ॥

10. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि लक्ष्मीचन्द जी की विवाहिता पत्नी केसर बाई लक्ष्मीचन्द जी के जीवनकाल में ही माधोलाल नाम के व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी बनकर रहने लग गई थी तथा माधोलाल के साथ विवाह कर लिया था ॥ कानूनन यदि कोई औरत अपने पति के जीवनकाल में अन्यत्र कहीं विवाह कर लेती है तो उसके पूर्व पति की सम्पत्ति में उसके समस्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं । अर्थात् जब केसर बाई का उस

सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं था तो केसरबाई की पुत्री कान्ति बाई जो कि माधोलाल के नुत्फे से उत्पन्न हुई थी उसका तथा वर्तमान में रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 का विवादित भूमि पर कोई अधिकार होने का प्रश्न ही नहीं होता है क्योंकि उनका व लक्ष्मीचन्द जी का कोई सम्बन्ध नहीं था इस महत्वपूर्ण तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज करते हुए निर्णय एवं डिकी पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 06 तनकी कायम की थी परन्तु निर्णय बिना तनकीवार पारित किया है जो सीपीसी के आदेश 14 नियम 02 एवं आदेदश 20 नियम 05 के उल्लंघन में पारित किया गया है । उक्त निर्णय निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह तथ्य उल्लेखित किया है कि रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 01.02.1983 को नामान्तरकरण संख्या 16 तस्दीक हो गया था तो वादी अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध समक्षम न्यायालय में कोई अपील नहीं की थी इस कारण वादी अपीलान्ट द्वारा गया अनुतोष प्रदान किया जाना उचित नहीं होता है । जबकि नामान्तरकरण मात्र एक राजकोशिय कार्यवाही है उस कार्यवाही से किसी के हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा वादी अपीलान्ट के द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.02.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आदेश 14 नियम 02 सीपीसी, आदेश 20 नियम 05 सीपीसी, आरबीजे 2014 पेज 671, आरबीजे 1999 पेज 285, आरआरडी 1997 पेज 304, आरबीजे 2019 पेज 133, आरआरडी 2015 पेज 14, आरआरडी 2011 पेज 81, आरबीजे 2019 पेज 196 उद्धृत किये ।

11. दोनों अपीलों में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार हंसराज जी थे । हंसराज जी के दो पुत्र लक्ष्मीचन्द व मोतीलाल हुए जिसमें दोनों का 1/2 –1/2 हिस्सा निहित था । लक्ष्मीचन्द जी के प्रतिवादी कम 1 व 2 की माता कान्तिबाई एकमात्र पुत्री थी । कान्तिबाई का विवाह लालचन्द जी से हुआ था । कान्तिबाई वादग्रस्त आराजी में लक्ष्मीचन्द जी के निहित 1/2 हिस्से की लक्ष्मीचन्द जी की एक मात्र वारिस होने से अधिकारी है तथा इसी अनुसार कान्तिबाई अपने जीवनकाल में अपने निहित 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त रही हैं। कान्तिबाई के देहान्त के बाद उनकी पुत्रियॉ कुसुमलता व ऊषा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 उक्त भूमि पर काबिज काश्त चली आ रही हैं । कान्ति बाई के देहान्त के उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 01.02.1983 प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के नाम दर्ज किया गया । भू–प्रबन्ध विभाग को फौती नामान्तरकरण खोलने एवं वैधानिक इन्द्राज करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है । कान्तिबाई लक्ष्मीचन्द जी की वैधानिक एवं सुलभी पुत्री होन से वादग्रस्त आराजी में उसका 1/2 हिस्सा निहित है । जहॉ तक तनकीवार निर्णय नहीं करने का प्रश्न है अधीनस्थ न्याालय के निर्णय में समस्त साक्ष्यों एवं तथ्यों का विवेचन कर निर्णय पारित किया है । ऐसे कई न्यायिक दृष्टांत है, जिनमें अभिमत दिया है कि यदि निर्णय सारांशतः सभी पक्षों का विवेचन कर दिया गया है तो निर्णय तनकीवार नहीं होने पर भी सही रूप में मान्य होगा । अपीलीय न्यायालय भी निर्णय को तनकीवार रूप से अवलोकन कर निर्णय पारित कर सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.02.2020 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1989 पेज 624 आदेश 22 नियम 4 (4) सीपीसी, आरबीजे 2013 पेज

165, आरआरडी 1990 पेज 663 आदेश 20 नियम 05 सीपीसी, आरबीजे 2020 पेज 31, आरबीजे 2020 पेज 478, आरबीजे 2010 पेज 162, 188, 330, आदेश 41 नियम 24 सीपीसी, एआईआर 2003 (3) पेज 385, 2007 आरआरटी पेज 385 उद्घृत किये ।

12. हमने दोनों पत्रावलियों का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर दोनों अपीलें प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 प्रदर्श– 1 पेश की है जिसके अनुसार ग्राम नोताडा भोपत की आराजी खसरा नम्बर 1097 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1211 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1213 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1265 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि कुसमलता, ऊषा दु0 लक्ष्मीचन्द हिस्सा 1/2, सागरमल, कन्हैयालाल पुत्र मोतीलाल बदामबाई, गिरिराज, शकुन्तला पुत्रियॉं मोतीलाल हिस्सा 1/2 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं । नामांकन के लिए पर्चा नोटिस भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श– 2 पेश किये हैं ।

14. प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2039 से 2042 प्रदर्श– डी–1 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी कुसमलता व ऊषा दु0 लक्ष्मीचन्द हिस्सा 1/2, मोतीलाल व हंसराज हिस्सा 1/2 के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है । नकल जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 प्रदर्श– डी–2 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम नोताडा की कुल 09 किता 18 बीघा 19 बिस्वा भूमि मु0 कान्ति दुख्तर लक्ष्मीचन्द 1/2 व मोती लाल वल्द हंसराज 1/2 खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है । नकल नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 01.02.1983 प्रदर्श– डी–3 संलग्न है जिसमें ऊषा व कुसुमलता के नाम नामान्तरकरण खुला । नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभग संवत् 2028 से 2047 प्रदर्श– डी–4 संलग्न है । राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय टिपटा कोटा द्वारा जारी परीक्षा परिणाम पत्र, सत्र 2003–04 प्रदर्श– डी–5, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय टिपटा कोटा द्वारा जारी टी0 सी0 दिनांक 18 जनवरी, 2005 प्रदर्श– डी–6 एवं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र ऊषा कुमारी प्रदर्श– डी–7 पेश किये हैं ।

15. वादी की ओर से बयान कन्हैयालाल पीडब्ल्यू – 1 कराये गये हैं ।

16. प्रतिवादी की ओर से बयान कुसुमलता डीडब्ल्यू–1, लालचन्द डीडब्ल्यू–2, घनश्याम डीडब्ल्यू–3, नन्दकिशोर डीडब्ल्यू–4 कराये गये हैं ।

17. निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय तनकीवार नहीं किया । अब प्रश्न यह है कि विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में निर्णय को तनकीवार विवेचन कर निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित

किया जाए अथवा विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों एवं तर्कों के प्रकाश में अवलोकन कर निर्णित किया जाए । प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा सभी साक्ष्य, गवाहान आदि प्रस्तुत कर दिए गए हैं, हमारे समक्ष में कोई नया साक्ष्य या तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है । ऐसी स्थिति में हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में सहमत हैं कि हालांकि निर्णय तनकीवार नहीं किया गया है परन्तु साक्ष्यों व गवाहों का विवेचन कर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है । निर्णय में मूल प्रश्नों को तय कर दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहे हैं । सभी साक्ष्य एवं दस्तावेज आदि सामग्री पत्रावली पर उपलब्ध है, अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के सदंर्भ में प्रकरण व निर्णय को तनकीवार भी देखा जाना उचित होगा । तनकीवार विवेचन, विश्लेषण करना उचित होगा । प्रकरण में कुल 06 तनकियॉं विरचित की गई है :–

1. तनकी नम्बर 1:– आया वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित समपूर्ण आराजी का मोतीलाल के वारिसान वादीगण खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं :– वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 प्रदर्श– 1 पेश की है जिसके अनुसार ग्राम नोताडा भोपत की आराजी खसरा नम्बर 1097 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1211 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1213 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1265 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि कुसमलता, ऊषा दु0 लक्ष्मीचन्द हिस्सा 1/2, सागरमल, कन्हैयालाल पुत्र मोतीलाल बदामबाई, गिरिराज, शकुन्तला पुत्रियॉं मोतीलाल हिस्सा 1/2 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं । नामांकन के लिए पर्चा नोटिस भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श– 2 पेश किये हैं । इसके अलावा गवाह कन्हैया लाल पीडब्ल्य–1 कराये गये हैं। वादी ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे जिससे यह सिद्ध होता हो कि लक्ष्मीचन्द के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई । वादी यह सिद्ध करने में असफल रहे कि लक्ष्मीचन्द की पत्नी बिना कोई संतान उत्पन्न हुए ही माधोलाल के पास ग्राम गरोढ नाते चली गई । वादी कन्हैया लाल पीडब्ल्यू–1 ने अपने बयान में कथन किया है, "यह बात सही है कि कान्ति बाई कि शादी लालचन्द से हुई थी । कान्ति बाई का देहान्त कब हुआ यह ध्यान नहीं है । लक्ष्मीचन्द जी मरे उस समय मैं पैदा नहीं हुआ था ।" अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में अंकित किया है कि, "प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का वादी द्वारा कोई जवाब काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया गया और न ही वादी द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश किया गया जिससे यह साबित होता हो कि लक्ष्मीचन्द लाऔलाद फौत हुआ है तथा कान्तिबाई लक्ष्मीचन्द की जायन्दा पुत्री नहीं है ।" हम अधीनस्थ न्यायालय के इस मत से सहमत हैं । उक्त बयान से भी स्पष्ट है कि वादी कन्हैया लाल को लक्ष्मीचन्द की पत्नी के बारे में पता नहीं हो सकता क्योंकि उसने स्वयं स्वीकार किया है कि लक्ष्मीचन्द जी मरे तब मैं पैदा नहीं हुआ था । दूसरी ओर स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 प्रतिवादी कम 1व 2 की खातेदारी को ही प्रमाणित करती है । ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 01 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

2. तनकी नम्बर 2 :– आया वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं :– जब तनकी नम्बर –1 में वादी स्वयं को खातेदार घोषित करवाने में

असफल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी नहीं की जा सकती । अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है ।

3. तनकी नम्बर 3 :– आया कुसुमलता व उषा लालचन्द व कान्तिबाई की पुत्रियाँ व लक्ष्मीचन्द की दोहितियाँ हैं एवं वादपत्र की व काउण्टर क्लेम की चरण संख्या 1 में उनका 1/2 हिस्सा है :– तनकी नम्बर 4 :– आया जमाबन्दी में प्रतिवादी उषा व कुसुमलता दुख्तर लक्ष्मीचन्द दुख्तर कल्याणकर उषा व कुसुमलता दुख्तर लालचन्द अंकित करवाने की अधिकारी है– तनकी नम्बर 5 :– आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है :– तनकी नम्बर 3 से 5 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा सिद्ध की जानी है । उक्त तीनों तनकियाँ एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से एक साथ निष्कर्ष पारित किया जाना उचित होगा । प्रतिवादी – द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2039 से 2042 प्रदर्श– डी–1 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी कुसमलता व उषा पु0 लक्ष्मीचन्द हिस्सा 1/2, मोतीलाल व इंसराज हिस्सा 1/2 के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है । नकल जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 प्रदर्श– डी–2 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम नीताळा की कुल 09 किता 18 बीघा 19 बिस्वा भूमि पु0 कान्ति दुख्तर लक्ष्मीचन्द 1/2 व मोती लाल वल्द इंसराज 1/2 खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है । नकल नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 01.02.1983 प्रदर्श– डी–3 संलग्न है जिसमें उषा व कुसुमलता के नाम नामान्तरकरण खुला । अतः प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से प्रतीत होता है कि उक्त भूमि लक्ष्मीचन्द जी की थी तथा लक्ष्मीचन्द की मृत्यु के पश्चात् भूमि उनकी पुत्री कान्ति तथा उसके पश्चात् लक्ष्मीचन्द की दोहिती तथा कान्ति की पुत्रियाँ कुसुमलता व उषा के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हुई । चूंकि वादीगण तनकी नम्बर 01 को साबित करने में असफल रहे तथा तनकी नम्बर 03 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पर्याप्त राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है । पुराने राजस्व रिकॉर्ड पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण हमारे समक्ष उत्पन्न नहीं है । ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 03 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में निर्णित की जाती है । इसी प्रकार तनकी संख्या 4 अधीनस्थ न्यायालय में निष्कर्ष पारित किया गया है कि "कान्ति बाई दुख्तर लक्ष्मीचन्द की मृत्यु के उपरान्त नामान्तरकरण पंजिका संख्या 186 दिनांक 01.02.1983 से कान्ति बाई की दो पुत्रियाँ कुसुमलता व उषा दुख्तर लालचन्द 1/2 हि0ब0 दर्ज किया गया है, जबकि जमाबन्दी संवत् 2039–42 ग्राम नीताळा में जमाबन्दी लिखावट के समय सहखातेदार कुसुमलता, उषा दुख्तर लक्ष्मीचन्द हिस्सा 1/2 दर्ज किया गया है जो राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि होना माना जाता है । तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि नकल जमाबन्दी खाता संख्या 36 ग्राम नीताळा मौजा संवत् 2084–87 प्रदर्श– 1 कुसुमलता, उषा पु0 लक्ष्मीचन्द के स्थान पर कुसुमलता, उषा दुख्तर लालचन्द किया जावे । तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्त करें ।" पिता के सम्बन्ध में उक्त मत रिकॉर्ड से सिद्ध होता है । इस प्रकार यह तनकी भी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है । तनकी नम्बर 5 जब प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं तो वे अपने पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी भी हैं । इस तनकी को भी प्रतिवादी के पक्ष में तय किया जाता है । इस प्रकार विद्वान् विचारण न्यायालय के निर्णय को तनकीवार परिप्रेक्ष्य में विवेचन व विश्लेषण करने से वादी अपीलान्ट अपना वाद साबित करने में असफल रहे ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के तनकी नम्बर 1 व 2 वादी के विरूद्ध तय पायी गई है तथा तनकी नम्बर 3 से 5 प्रतिवादी के पक्ष में तय पायी गई है । हालांकि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है, परन्तु पैरा संख्या 17 पर तनकीवार निर्णय का विवेचन व विश्लेषण अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सारांशतः उचित है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में लगभग सभी साक्ष्यों, तथ्यों का विवेचन कर निर्णय पारित किया है । अतः प्रस्तुत प्रकरण को तनकीवार निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता । इस आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.02.2020 बहाल रखा जाता है ।

19. निर्णय आज दिनांक 13.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिकी

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2020/80

कन्हैया लाल आत्मज श्री मोती लाल उम्र 60 वर्ष जाति महाजन निवासी भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. कुसुमलता पुत्री श्री लालचन्द जैन पत्नी ऋषभ कुमार जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 27, दीनदयाल उपाध्याय नगर, अनन्तपुरा जिला कोटा ।
2. ऊषा बाई पुत्री श्री लालचन्द जाति महाजन निवीस बजाज खाना मुख्य बाजार इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।
3. सागरमल आत्मज श्री मोतीलाल जाति महाजन निवासी नोताडा भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. बदाम बाई मृतक जरिये कायममुकाम :–
   4/1. राजकुमार आत्मज श्री प्रकाश चन्द उम्र 38 वर्ष जाति महाजन निवासी पुराना बस स्टेण्ड मंगलपुरा झालावाड ।
   4/2. रानी पुत्री श्री प्रकाश चन्द उम्र 35 वर्ष जाति महाजन निवासी पुराना बस स्टेण्ड मंगलपुरा, झालावाड ।
   4/3. पिंकी पुत्री श्री प्रकाश चन्द उम्र 32 वर्ष जाति महाजन निवासी पुराना बस स्टेण्ड मंगलपुरा झालावाड ।
   4/4. सोनिया पुत्री श्री प्रकाश चन्द उम्र 28 वर्ष जाति महाजन निवासी पुराना बस स्टेण्ड, मंगलपुरा झालावाड ।
5. गिर्राज बाई पुत्री स्व0 श्री मोतीलाल पत्नी प्रकाश चन्द जाति जैन निवासी ग्रमा मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. शकुन्लता मृतक जरिये कायममुकाम :–
   6/1. शुभम जैन आत्मज श्री ऋषभ कुमार जाति महाजन निवासी ग्राम आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
8. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक तालेडा जिला बून्दी ।

—रेस्पोडेन्ट

ल संख्या : 2020/109

कन्हैया लाल आत्मज श्री मोती लाल उम्र 60 वर्ष जाति महाजन निवासी भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. कुसुमलता पुत्री श्री लालचन्द जैन पत्नी ऋषभ कुमार जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 27, दीनदयाल उपाध्याय नगर, अनन्तपुरा जिला कोटा ।
2. ऊषा बाई पुत्री श्री लालचन्द जाति महाजन निवीस बजाज खाना मुख्य बाजार इन्द्रौर (मध्यप्रदेश) ।
3. सागरमल आत्मज श्री मोतीलाल जाति महाजन निवासी नोताडा भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. बदाम बाई मृतक जरिये कायममुकाम :–
   - 4/1. राजकुमार आत्मज श्री प्रकाश चन्द उम्र 38 वर्ष जाति महाजन निवासी पुराना बस स्टेण्ड मंगलपुरा झालावाड ।
   - 4/2. रानी पुत्री श्री प्रकाश चन्द उम्र 35 वर्ष जाति महाजन निवासी पुराना बस स्टेण्ड मंगलपुरा, झालावाड ।
   - 4/3. पिंकी पुत्री श्री प्रकाश चन्द उम्र 32 वर्ष जाति महाजन निवासी पुराना बस स्टेण्ड मंगलपुरा झालावाड ।
   - 4/4. सोनिया पुत्री श्री प्रकाश चन्द उम्र 28 वर्ष जाति महाजन निवासी पुराना बस स्टेण्ड, मंगलपुरा झालावाड ।
5. गिर्राज बाई पुत्री स्व0 श्री मोतीलाल पत्नी प्रकाश चन्द जाति जैन निवासी ग्राम मायजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
6. शकुन्लता मृतक जरिये कायममुकाम :–
   - 6/1. शुभम जैन आत्मज श्री ऋषभ कुमार जाति महाजन निवासी ग्राम आरोली तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
8. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश बून्दी ।
9. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक तालेडा जिला बून्दी ।

—रेस्पोडेन्ट

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.02.2020 परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा, जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 188/दावा/2010

1. कन्हैया लाल आत्मज श्री मोती लाल उम्र 60 वर्ष जाति महाजन निवासी भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. कुसुमलता पुत्री श्री लालचन्द जैन पत्नी ऋषभ कुमार जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 27, दीनदयाल उपाध्याय नगर, अनन्तपुरा जिला कोटा ।
2. ऊषा बाई पुत्री श्री लालचन्द जाति महाजन निवीस बजाज खाना मुख्य बाजार इन्दौर ।
3. सागरमल आत्मज श्री मोतीलाल जाति महाजन निवासी नोताडा भोपत ।
4. बदाम बाई पूत्री मोतीलाल जी जाति महाजन जैन निवासी नोताडा भोपत।
5. गिर्राज बाई पुत्री स्व0 श्री मोतीलाल पत्नी प्रकाश चन्द जाति जैन महाजन निवासी नोताडा भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
6. शकुन्लता पूत्री स्व0 मोतीलाल जी जाति जैन महाजन निवासी नोताडा भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
8. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश बून्दी।
9. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक तालेडा जिला बून्दी।

—प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा, जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.02.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त दोनों अपीलें तारीख 13.01.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री उत्पल शर्मा, दोनों अपीलों में एवं श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से दोनों अपीलों में उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की अपील संख्या 2020/80 एवं अपील संख्या 2020/109 दोनों खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.02.2020 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिकी आज तारीख 13.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा